IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 4, June 2025
Impact Factor: 7.67

भारतीय जेलों में कैदियों की स्थिति

यासमीन बी एवं डॉ. नीति निपुणा सक्सेना

विधि एवं विधिक विभाग, सेज विश्वविद्यालय, इंदौर

सारांश

भारतीय जेल व्यवस्था लंबे समय से सुधारों और मानवाधिकारों[1] की दृष्टि से चिंता का विषय बनी हुई है। कैदियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, विशेषतः विचाराधीन कैदियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण जेलों में भीड़भाड़ सामान्य हो गई है। भारत में अधिकांश जेलों की क्षमता से अधिक कैदी होने से बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी देखी जाती है। कैदियों को स्वच्छ पेयजल, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, और शैक्षणिक व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं होतीं।

महिलाओं, वृद्धों, विकलांगों और मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों की स्थिति और भी चिंताजनक है। महिला कैदियों को अक्सर प्रसूति सुविधाओं और शिशु देखभाल की उपयुक्त व्यवस्था नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त, कैदियों के मानवाधिकारों का हनन, जैसे मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, और अस्वच्छ वातावरण में रहना, जेल सुधारों की आवश्यकता को और भी गहन बनाता है।

हालांकि, कुछ राज्यों में सुधारात्मक प्रयास हुए हैं, जैसे खुले जेलों की स्थापना, शिक्षण एवं पुनर्वास कार्यक्रम, लेकिन वे अब भी सीमित दायरे में ही हैं। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समय–समय पर सुधारात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं, परंतु उनके क्रियान्वयन में लगातार लापरवाही देखी जाती है।

भारतीय जेल व्यवस्था में मूलभूत सुधार की आवश्यकता है जो कैदियों को दंड की भावना के साथ–साथ पुनर्वास और समाज में पुनःस्थापना के अवसर भी प्रदान कर सके। जेलों को केवल दंडस्थल न मानकर सुधारगृह के रूप में देखना ही समय की मांग है।

महत्वपूर्ण कीवर्ड्स

कैदी अधिकार, विचाराधीन कैदी, जेल सुधार, मानवाधिकार हनन, पुनर्वास प्रणाली

[1] भारद्वाज, एस. (2019)। दंड, पुनर्वास और न्याय भारतीय परिप्रेक्ष्य। भोपाल भारत ज्ञानपीठ।

Copyright to IJARSCT
www.ijarsct.co.in

DOI: 10.48175/568